Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 3 | SPECIAL ISSUE MARCH-2023

साइबर सुरक्षा एवं साइबर कानून का शोसल मीडिया पर प्रभाव साथ ही, साइबर अपराधो का अभियोजन द्वारा किए जा रहे वेज्ञानिक अन्वेषण तथा इलेक्ट्रानिक अभिलेखो को न्यायालय में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाऐ का तुलनात्मक अध्ययन।

डॉ प्रदीप कुमार तिवारी | सहायक प्राध्यापक, विधि संकाय, माधव विश्वविद्यालय पिंडवारा रोड जिला सिरोही राजीस्थान

ABSTRACT:

वर्तमान समय में साइबर अपराध बडी तेजी से बढ राहा है, साइबर अपराध वह अपराध है, जो इटंर नेट के माध्यम् से कम्यूटर के द्वारा साइबर स्पेस में किऐ जा रहै है, वर्तमान समय में साइबर स्टैकिंग, साइबर पोरनोग्राफी, डेटा चौरी , मालावार अटैक, ई–मेंल बम्बिंग, सलामी अटैक,साइबर टैरारिज्म, आनलाइन ठगी, महिलाओ से सम्बंधित अपराध जैसे आनलाइन छेडखानी, मानहानि, आनलाइन जुआ, एवं आनलाइन चौरी के अपराध बडी तेजी से बड रहै है, करोना काल के साइबर अपराध की बाड सी आ गई थी, ताजा शोध के अनुसार 40 प्रतिशत मोबइल उपयोग कर्ता आनलाइन ठगी का षिकार हुऐ थै। साथ ही सोषल मीडिया से सम्बंधित अपराधो की बडोतंरी बडी तादात् में हुई थी , काफी मात्रा में भ्रामक समाचार व्हाट्स अप तथा फेसबुक के माध्यम से एक यूजर से दूसरे यूजर को फारवर्ड किऐ जा रहे थे, करोना से सम्बंधित भ्रामक तथ्य भी बहुतायत में एक दूसरे को फेलाऐ जा रहे थे, सरकार को भी समय –2 पर ऐडवाएजरी जारी करनी पड रही थी, पंरतु उक्त एडवाएजरी का आम जनता पर असर न के बराबर पड रहा था, सरकार ने तद् सम्बंध में सज्ञाान लेते हुऐ कार्यवाही भी की थी , तथा षोसल मीडिया के माध्यम से भ्रामक खबर फैलाने तथा आनलाईन ठगी करने पर सम्बंधित पुलिस थानो द्वारा सूचना प्राद्योगकी के तहत मामले भी पंजीबद्व किऐ गए थे, परंतु अन्वेष्ण अधिकारी को अन्वेषण किस प्रकार किया जाऐ जानकारी न होने के कारण चालान न्यायालय में प्रस्तुत नही हो सके , कुछ चालान न्यायालय में प्रस्तुत हुऐ भी पर एलेक्ट्रानिक अभिलेखो को न्यायालय में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ईलेक्ट्रानिक

अभिलेखो के सम्बंध में क्या प्रावधान है, की जानकारी न हाने के कारण प्रकरणो का विचारण न्यायालय में उचित मापदंण्डो के आधार पर नही हो पा रहा है, उक्त आलेख में साइबर अपराधो की विस्तार से जानकारी के साथ आम जन मानस को सइाबर सुरक्षा की जानकारी के साथ ही, अभियेाजन द्वारा साइबर अपराधा की विवेचना किस प्रकार की जाए जानकारी दी जा रही है, जिसके अन्तंर्गत दंण्ड प्रकिया संहिता की धारा 80, 81,एवं 91 154 के प्रावधान एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 एवं 28 का विषेष रूप से प्रकाष डाला जा रहा हैं,एव साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत इलेक्ट्रानिक अभिलेख को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते समय क्या प्रावधान है का वर्णन किया जा रहा है, उक्त तारयतम्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रानिक अभिलेख के संदर्भ में क्या निर्णय पारित किया गया है, तुलानाम्क अध्ययन किया जा रहा है।

KEYWORDS:

साइबर अपराध क्या है

साइबर अपराध वर्तमान समय में भारत में बडी तेजी से बढ रहा है,?समान्य तौर पर साइबर अपराध वह अपराध है, जो साइबर स्पेस में इण्टरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा किये जाते है, जिसकी कोई भौगेलिक सीमा नही हेती, अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी भारत में ऑनलाइन ठगी, को अंजाम दे सकता है, साथ ही बैवसाइट हैकिंग,सोशल मीडिया से संबंधित, अपराध आदि की धटनाओ को अंजाम दे सकता है ,ऐसे में अभियोजन का साइबर अपराधी को पकड़ना तथा उसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कराना एक चुनैती पूर्ण कार्य है, साइबर अपराध में अभियोजन की बडी भूमिका होती है, साईबर अपराध एक कम्प्यूटर जनित अपराध है, जिसके अन्तंर्गत किये गये अपराध की वास्तविकता और अपराधी को पकड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा साक्ष्य को विषेष प्रकिृया के अंन्तर्गत न्यायालय में साक्ष्य अधिनियम के अन्तंर्गत प्रमाणित कराना एक साहसिक कार्य है,प्रस्तुत आलेख में अपराध क्या है, साईबर अपराध कितने प्रकार है, तथा इन अपराधो का अन्वेषण पुलिस द्वारा किस प्रकार किया जाना चाहिए साइबर अपराधी को पकड़ने के बाद अभियोजन द्वारा साक्ष्य अधिनियम के अन्तंर्गत एकत्र किये गये दस्तावेजो को किस प्रकार प्रमाणित कराया जाता है, तथा एक अन्वेषण अधिकारी की साइबर अपराध के अनुसंधान एवं साइबर अपराधी को न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रमाणित करने में क्या भूमिका होती है, वर्णन किया गया है।

साइबर कानून

साईबर अपराध कम्यूटर जनित अपराध है, जो कम्यूटर के माध्यम से इनंटर नेट के द्वारा साइबर स्पैस में किए जाते है।जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुचाने की नियत से कम्यूटर, मोबाइल,या अन्य किसी ईलेक्ट्रानिक डिवाईस के माध्यम कोई संदेष डेटा, विडियो, चिह्न साइबर स्पेस में ईटंरनेट के माध्यम से भेजते है,तो एसे अपराध साईबर अपराध कहलाते है, अर्थात साईबर अपराध को प्रमाणित करने के निम्न लिखित तत्वो का होना आवष्यक है।

1,मैन्स रिया या गिल्टी मांईन्ड 2'–मोटिव या उददष्य 3– अपराध का कारित करना या लोप करना , साथ ही किया गया अपराध तत्समय प्रवर्तनीय वधि के अन्तंर्गत दंण्डनीय हो। अगर कोई व्यक्ति भारत में साईबर अपराध कारित करता है, तो वह सूचना प्रद्योगकी अधिनियम 2000 एवं 2008 के तहत दंण्डनीय होगा , साइबर अपराधो के संदर्भ में सूचना प्रद्योगकी अधिनियम के साथ मं भारतीय दंण्ड संहिता, एव दंण्ड प्रकिृया संहिता के प्रावधान लागू होते है।

कम्प्यूटर क्या है।

कम्प्यूटर एक इलैक्ट्रानिक डिवाइस है, जिसमें डेटा इनपूट करने में आउट पुट के रूप सम्बंधित डैटा स्क्रीन में दिखाई देता है। तथा जिसके डेटा को ईलेक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में साक्ष्य के रूपा में सग्रहित किया जाता है, जो कि अकिंय डेटा, चित्र, विडियेा ,ध्वनी के रूप मे होता है, मोबाइल को भी वर्तमान में कम्प्यूटर के डिवाइस के रूप में माना जाता है,मोबाईल,टैबलेट, को भी ईलेक्ट्रानिक डिवाईस के रूप में माना जाता है।

2– साइबर लॉ का विस्तार

साइबर लॉ के विस्तार में निम्न लिखित विषयो का अध्ययन किया जाता हैं

1– संसूचनाओं का अदान प्रदान करना।

2– इलेक्ट्रांनिक हस्ताक्षर ।

3– इलेक्ट्रांनिक एवं अकिंय अभिलेख ।

4– साइबर अपराध।

5– बौद्विक सम्पदा एवं कापीराईट एक्ट।

7– डेटा सनंरक्षण

8– टैड मार्क एक्ट ।

3–संसूचनाओ का अदान प्रदान –

संसूचनाओं के अदान प्रदान को तेजी से बढते हुंऐ साइबर अपराध की रीड की हड्डी माना जाता है, इसका मुख्य कारण यह है, बिना संसूचनाओं के अदान प्रदान के किसी भी प्रकार के साइबर अपराध के होने की संभावना नही होती वर्तमान समय में संसुचनाओ का अदान प्रदान ई –मेंल वाट्स अप, तथा अन्य प्रकार के शोसल मीडिया के माध्यम से होता है,जैसे इन्ष्टाग्राम, फेसबुक, टैलीग्राम, आदि।

2–इलेक्ट्रांनिक अभिलेख –

इलेक्ट्रांनिक अभिलेख से तात्पर्य ऐसें दस्तावेज से है, जो ईलेक्ट्रनिक युक्ति के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जाते है,जिसकी परिभाषा सूचना प्रद्योगकी की धारा(3)में बताई गई है।

इलेक्ट्रांनिक हस्ताक्षर का प्रयोग सामान्तः अंकीय हस्ताक्षर करने तथा दस्तावेज को अधिप्रमाणित करने के लिऐ किया जाता है, किसी आनलाईन माध्यम से भेजे गये दस्तावेज को अधिप्रमाणित करने के लिऐ भी इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर का प्रयोग किया

जाता है। साइबर अपराध इटंरनेट के माध्यम से संसूचनाओ के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजने से होता है, संसूचना को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजने वाले यूजर बडे ही चालाक होते है, इन्है पुलिस द्वारा पकड पाना अंत्यंत कठिन होता है, क्योकि ऐ बडी ही आसानी से सूचना तंत्र को समाप्त कर देते है, साइबर आतंकवाद के अपराधी को पकड पाना अत्यंत कठिन होता है, क्योकि ये इकृिष्न विधि का उपयोग करके भेजे गऐ संदेष के माध्यम (उद्गम) को समाप्त कर देते है, शोसल मीडिया के माध्यम से यूजर द्वारा वाट्सअप, फेसबुक, इनस्टंाग्राम, से संदेश तेजी से सम्प्रेसित किऐ जाते है, यूजर अपना काम करके इलेक्ट्रानिक दस्तावेज को समाप्त कर देते है, इस कारण साइबर से सम्बंधित पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्या न हाने के कारण अपराधो आसानी से बरी हो जाते है, तथा अन्वेषण अधिकारी को भी दस्तावेजी साक्ष्य को एकत्रित करने में बडी ही चुनोतियो का समाना करना पडता है, अन्वेषण अधिकारी को साक्ष्य एकत्रित करने में बडी ही कठनाइयो का सामना करना पडता है,साइबर अपराध साइबर स्पेस में इटंरनेट के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में घटित होते है, परंतु दस्तावेजी साक्ष्य के आभाव में तथा उन साक्ष्यो का बारीकी से वैज्ञानिक परीक्षण न होने के कारण आरोपी न्यायालय से बरी हो जाते है, साइबर अपराध को न्यायालय में साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का अत्यधिक महत्व है।

साइबर अपराध

साइबर अपराध वह अपराध है, जो साइबर स्पैस में इटंरनैट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है, जब इटंरनेट के माध्यम से यूजर द्वारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में संदेष जो एक चित्र, पिक्चर, वीडियो क्लिप, दस्तावेज, तथा चिन्ह के माध्यम से किसी विषेष उदद्ष्य की पूर्ति के लिऐ या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहूॅचाने, मानहानि करने या आंतकित करने, छल करने, चोरी करने के नियत से किऐ जाते है, साइबर अपराध कहलाते है। साइबर अपराध के अन्तंर्गत साइबर स्टैकिग, साईबर पोर्नोग्राफी , एथिकल हैकिंग, साईबर आतंकवाद, साइबर मानहनि, आन लाईन ठगी, डैटा थैफ्ट, डिनाईल ऑफ सर्विस अटैक, बैकिंग फ्रॉड, आनलाईन इनफ्रिन्जमैंट, बैवसाईट हैकिंग आदि अपराध आते है।

बौद्विक संम्पदा एवं कापी राईट एक्ट

वर्तमान समय में आनलाइन माध्यम से बौद्विक संम्पदा के हरण के अपराध अत्यधिक मात्रा में बड रहे है, बौद्विक सम्पदा वह सम्पदा होती है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी बुद्वी के द्वारा कोई कार्य करता है और उसे कापीराइट अधिनियम के अन्तंर्गत सुरक्षित कर देता है, अगर कोई युजर आनलाईन माध्यम से किसी व्यक्ति की बौद्विक सम्पदा का हरण करता है,तो वह इस अधिनियम के अन्तंर्गत एक दण्डंनीय अपराध है, गीत,सीनेमा, पैटिंग, संगीत, किताब लेखन, कार डिजाइन, फाइन आर्ट इत्यादि बोद्विक संम्पदा के अन्तंर्गत आता है, अगर कोई यूजर आनलाईन माध्यम से अधिकृत व्यक्ति के बिना इजाजत बोद्विक सम्पंदा डाउनलोड करता है, एवं उसका उपयोग व्यक्तिगत हित में करता है, तो वह व्यक्ति बोद्विक सम्पंदा के अन्तंर्गत दोषी माना जाएगा। उक्त कार्य में क्रिमिनल विचारण के साथ दिवानी दावा भी किया जा सकता है।

डैटा सनंरक्षण – हर व्यक्ति का डैटा अति महत्वपूर्ण है, संविधान के अनुच्छैद 21 के अन्तंर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार प्राप्त है, अगर कोई व्यक्ति यूजर कप्यूटर आनलाईन माध्यम से बिना अधिकृत व्यक्ति की अनुमति से उसका डैटा चौरी करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को डैटा बैचता है यह कानूनी अपराध माना जावैगा वर्तमान में भारत मे तद्सम्बंध में कोई प्रभावी कनून नही है, अपितु अमरिका में उक्त सम्बंध में कठौर कानूनी प्रावधान है,भारत में अगर कोई यूजर बिना इजाजत किसी अन्य व्यक्ति का डेटा चौरी करता है या किसी अन्य व्यक्ति का डैटा साझा करता है, तो वह सुचना प्रद्योगकी की धारा 43 ऐ के अन्तंर्गत दोषीश्होगा जिसके अन्तंर्गत पीडित व्यक्ति दीवानो दावा भी दायर कर सकता है, भारत में अभी डैटा के सम्बंध में कोई प्राभावी कानून नही है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा डैटा सनंरक्षण के सम्बंध डैटा संनक्षण अधिनियम 2022 ड्रॅफ्ट कर लिया गया है, जिसे संसद में पेषश्किऐ जाने की समंभावना है।

ट्रैड मार्क एक्ट

ट्रैड मार्क एक्ट सन् 1999 में पास किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देष्य ट्रैड मार्क की चौरी को रोकना था, वर्तमान समय में आनलाईन माध्यम से ट्रैड मार्क की चौरी बड रही है, बैरन कनवैन्षन और डब्लू टी. औ. द्वारा तत् सम्बंध में प्रभावी कानून बनाए गय है, अगर कोई इन्टंरनेट के माध्यम से ट्रैड मार्क की चौरी करता है, तो वह इस अधिनियम के अन्तंर्गत दोषी माना जाएगा।

विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध

1 – साइबर स्टैकिंग, साइबर पौर्नोग्राफी, साइबर आतंकवाद,आनलाइन जुआ , एथिकल हैकिंग, आनलाइन ठगी, साइबर मानहानि, डैटा थैफ्ट, डिनाएल ऑफ सर्विस अटैक, सोषल मीडिया संम्बंधी अपराध जैसे फैस बुक, वाट्स अप के माध्यम से धार्मिक भावना भडकाना, मानहनि करना, ई–मैल बाम्बिंग, आदि प्रमुख साइबर अपराध है, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी प्राप्त कर लेना, ऑनलाइन जुआ, बेव जैकिग,आदि साइबर अपराध है, जिनका अन्वेषण अत्याधिक सर्तकता के साथ साइबर अपराधो का अन्वेषण करना चाहिए, क्योकि साइबर अपराधी अत्यधिक चालाक होते है, साइबर अपराधी को पकड पाना अत्यधिक मुष्किल होता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनवर पी.वी. विरूद्व पी.के. बषीर 1014 के मामले में साइबर अपराध की विवेचना किस प्रकार किया जाऐ विस्तार से समझाया गया है, प्रस्तुत आलेख में जिसका वर्णन किया जा रहा है।

सूचना प्रोद्योगकी अधिनियम की धारा 78 के अनुसार किसी थाने का भारसाधक अधिकारी इन्सपेक्टर ही साइबर अपराधो की विवेचना कर सकता है,, चाहे वह कैन्द्र सरकार के आधिनस्थ पदस्थ हो या राज्य सरकार से वह संबंधित अपराध की विवेचना करने के लिए अधिकृत है, वह उस जगह मैं प्रवेश कर सकता है,तलाषीश ले सकता है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है जहा पर साइबर अपराध कारित हुआ है, अगर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 80 के अन्तंर्गत साइबर क्राइम अपराध की विवेचना किस प्रकार की जावे, उसका वर्णन करती है, जिसमैं सार्वजनिक जगह को भी परिभाषित किया गया है, जो निम्न प्रकार है। "सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य एक ऐसा स्थान जहा पर लोग आते जाते हैं, जो आम जन की सुविधा के लिऐ बनाई गई है, जिसमें हवाई अड्डा होटल, रेलवे स्टैषन,बस स्टन्ड आदि आते है", साइबर अपराध जिस डिवाइस से कारित किया गया है उसे अन्वेषण अधिकारी अपने कब्जे में ले सकता है।

साइबर अपराध के अन्वेषण में धारा 80 यह भी वर्णित करती है कि अन्वेषण के दौरान दंण्ड प्रकिृया संहिता 1973 के प्रावधान लागू होगे, जिसके अन्तंर्गत प्रमुख रूपे जहा पर साइबर अपराध कारित हुआ है, बिना वारंट के प्रवेषश्करना तथा जिस डिवाइस से साइबर अपराध कारित हुआ है, उसे जब्त करना तथा जब्त दस्तावेज को फारेंसिंक जॉच के लिऐ भेजना, साथ ही धारा 91 दण्डं प्रकिृया संहिता के अन्तंर्गत दस्तावेजो को न्यायालय में प्रस्तुत करना, दंण्ड प्रकिृया संहिता की धारा 311, 312, 314, 316 का अनुपालन कर अभियोजन साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करना, इसके साथ ही अभियोजन का प्रमुख कार्य होता है कि इलैक्ट्रानिक दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ए तथा 65 बी के तहत प्रमाणित कराना ।

इलैक्ट्रानिक दस्तावेज

सूचना प्रद्योगकी अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रानिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है, जिसके अन्तंर्गत कोई दस्तावेज, पीक्चर, अकिंय हस्ताक्षर, चिह्न,डैटा, आडियो, वीडियो क्लिप, इलेक्ट्रानिक फार्म में हो, अर्थात कम्यूटर, लेपटाप, मोबाइल द्वारा लिऐ गय है, इलैक्ट्रानिक दस्तावेज कहलाते है।

इलेक्ट्रांनिक तथा अंकीय हस्ताक्षर को अधिप्रमाणित करने के संम्बध में –

इलेक्ट्रांनिक हस्ताक्षर का प्रयोग सामान्तः अंकीय हस्ताक्षरों को अधिप्रमाणित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनसे तीन प्रकार की विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति होती है –

1– हस्ताक्षरकर्ता की अधिप्रमाणिकता

2– संदेषो की अधिप्रमाणिकता

3– संदेषो की सत्यनिष्ठा

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायकि द्रष्टांतो का तुलनात्मक अध्ययन

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ए तथा 65 बी दस्तावेजी साक्ष्यो को न्यायालय में अधिप्रमाणित करने सम्बंधी प्रावधानो की व्याख्या करती है, धारा 3 सूचना प्रद्योगकी अधिनियम के अतंर्गत परिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेखो को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अन्तंर्गत अधिप्रमाणित किया जाता है, तत् सम्बंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक द्रष्टांतो में विषेषज्ञ की राय कब सुंसगत होगी भिन्न–2 अभिमत प्रदान किये, " कृमिनल अपील कृमांक– 373.375 नवजोद सिंह सन्धू विरूद्व दिल्ली राज्य 2004 में पारित निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना अभिमत देते हुए स्पष्ट किया की इलैक्ट्रानिक साक्ष्य को न्यायालय में पेष करने के पूर्व विषेषज्ञ की राय आवष्यक नही होगी, बिना विषेषज्ञ की राय तथा उसके प्रमाण पत्र के बिना भी इलैक्ट्रानिक अभिलेख न्यायालय प्रस्तुत किये जा सकते है, इसी तरह का निर्णय अजमल कसाब विरूद्व महाराष्ट्र राज्य में पारित किया गया था, इन दोनो निर्णय से कूट रचना करने की सम्भावना बड गई तथा अभियोजन द्वारा अभियुक्त को सजा दिलाने की नियत से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने लगे,इसके उपंरात सन् 2014 में अनवर पी.वी विरूद्व पी.के. बषीर एवं अन्य विरूद्व ओडीषा राज्य सिविल अपील क्रमांक 4226/2012 के मामले में माननीय मुख्य न्यायधीष कुरियन जोसफ एवं न्यायमूर्ति फली नरीमन की बैंच ने अपने निर्णय में ईलेक्ट्रानिक अभिलेखो को धारा 65 बी के तहत न्यायालय में द्वतीयक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पैष करते समय विषेषज्ञ की राय के प्रमाण पत्र अनिवार्यता पर बल दिया तथा कहा कि ईलेक्टानिक अभिलेखो को न्यायालय में प्रस्तुत करते समय प्रमाण पत्र आवष्यक है, इन सभी विरोधाभासी निर्णयो के उपंरात न्यायिक जगत में चर्चा का विषय बन गया की ईलेक्ट्रानिक अभिलेखो को न्यायालय

में प्रस्तुत करते समय विषेषज्ञ की राय की आवष्यकता कब होगी। इसके उपरांत सन् 2018 में,अर्जुन पंडित राव केडकर विरूद्व कैलाष राव गोंन्टीयार 2018 के मामले में बनी संवीधानिक बैंच द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसकी अध्यक्षता जस्टिस फली नरीमन ने की उक्त निर्णय के सारभूत बिन्दू निम्न प्रकार है।

1– अगर किसी मामले में इलैक्ट्रानिक अभिलेख को इलक्ट्रानिक डिवाइस जैसे लेपटाप, केमरा, कम्यूटर, मोबाइल, तथा किसी हार्डडिस्क के माध्यम से सीधे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत विषेषज्ञ के प्रमाण पत्र की आवष्यकता नही होगी।

2– अगर किसी एलेक्ट्रानिक अभिलेख को धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत द्वतीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है,तो विषेषज्ञ की राय प्रमाण पत्र की आवष्यकता होगी।

3– सिविल मामलो में अगर न्यायालय द्वारा द्वतीयक साक्ष्य के संदर्भ विषेषज्ञ की राय का प्रमाण पत्र मॉगा जाता है, तो सम्बंधित पक्षकार को इलेक्ट्रानिक अभिलेख के संदर्भ में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

4–साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्विस प्रोवाइडरो को दिषा निर्देष जारी किऐ गये की इलेक्ट्रानिक डेटा को 5 वर्षो तक प्रिजर्व रखना होगा तथा मॉगे जाने पर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा ।

उक्त न्याय निर्णय के पश्चात ईलेक्ट्रानिक दस्तावेजो के संदर्भ में न्यायिक जगत में छाई अनिष्चितता समाप्त हो गई, वर्तमान में उक्त निर्णय के अधार पर कार्य किया जा रहा है।

REFERENCES

1. ए.के श्रीवास्तव, डैटा प्रोटक्शन लॉ इन इडिंया , सर्च ऑफ ग्लोबन इफैंक्ट,युरोपीय डैटा प्रोटैक्शन लॉ रिवीव 408 –415 2019""
2. अदिति श्रीवास्तव, अविनाश गौस्वामी और डॉ रितु गौतम, साइबर कृाइम रेगुलेशन और सिक्योरटी, कन्टैपररी इशू और चैलेन्जेस –07–17 2022
3. अक्षय एस, एनालेसेस ऑफ दी डैटा प्रोटैक्शन लॉ इन इंडिया एस.एस.आर.आर.एन
4. एन्ड्रीव पी. ब्रीजेस आनलाइन प्लेटफार्म एंण्ड पपूलर टैक्नोलाजीस 2020 लीगल एंण्ड ोरेगुलर रीसपोन्सेस टू टैक्नोलाजी चैलेन्जस 2020।
5. एनीब्रान महापात्रा एंण्ड अरूण प्रभु, दी डिजीटल पर्सनल डैटा प्रोटैक्शन बिल,2022 पार्ट –1 इडिंया कॉर्पोरेट लॉ (2022)
6. अशीत हसंपाल, एनालेसिस ऑफ दी डिजिटल परर्सनल डैटा प्रोटैक्शन बिल, 2022 –डैटा प्रोटैक्शन बिल 2022,
7. कम्पैरिजन इडिंयन पर्सनल डैटा प्रोटैक्शन बिल 2019 विरूद्व जी.डी.पी.आर (2022)
8. डैटा प्रोटैक्शन और प्राईवेसी लेजीसलेशन वर्डवाईड यू.एन.सी.टी.ए.डी. (2021)
9. डॉ अशोक कैनजांलागी, त्रिप्ती एन.एस. कुरबट, सिक्योरटी थ्रैट इन इनडिंयन साइबर स्पैस, बाई शोषल मीडिया एंड साईबर हाक्सेस वाल्यूम –2 इन्टरनेशलन जरनल ऑफ ट्रैन्ड इन सांईनटिफिंक रिसर्च एन्ड डैवलपमेंट 598–600 (2018)
10. डॉ अशोक कउजालांनगी त्रिप्ती एन.एस. एंण्ड कुरबेट सिक्योरटी थ्रेट इन इंडियन साईबर स्पैस वाल्यूम –2, इन्टंरनेशनल जरनल ऑफ ट्रैन्ड इन साइबर स्पैस बाई शोसल मीडिया ,
11. गुरमीत कौर, प्राईवेसी इश्यू, इन साईबर स्पैस : एन इडिंयन प्रिसपिक्टिव एस.एस.आर.एन ईलेक्ट्रानिक जरनल –20(2020)
12. हैन्ड बुक ऑफ काईम एंण्ड टक्नोलाजी ।

कैस लॉ

1. नवजोद सिंह सन्द्धू विरूद्व यूनियन ऑफ इंडिया
2. अनवर पी.वी विरूद्व पी.के. बशीर एवं अन्य विरूद्व ओडीशा राज्य
3. अर्जुन पंडित राव केडकर विरूद्व कैलाश राव गोंन्टीयार 2018
4. अजमल कसाब विरूद्व महाराष्ट्र राज्य।